उत्तरांचल शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्याः 1947/XXX(2)/2004
देहरादूनः दिनांकः 16 दिसम्बर 2004

दिनांकः नवम्बर, 2004 को प्रख्यापित "उत्तरांचल लोक सेवा आयोग की (सेवा शर्तों) के बारे में विनियम, 2004" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव, उत्तरांचल शासन ।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल ।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल ।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल हरिद्वार ।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रुड़की (हरिद्वार) को नियमावली की हिन्दी, अंग्रेजी प्रतियों को संलग्न करते हुए इस निवेदन के साथ प्रेषित कि कृपया नियमावली को असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–क में मुद्रित करा कर इसकी 100 प्रतियाँ कार्मिक अनुभाग–2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

(आर0 सी0 लोहनी)
उप सचिव ।

उत्तरांचल शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या 1947/XXX-2/2004
देहरादूनः दिनांकः 16 दिसम्बर 2004

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 318 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैंः–

उत्तरांचल, लोक सेवा आयोग की (सेवा शर्तो)के बारे में विनियम, 2004

अध्याय– एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम प्रारम्भ और विस्तारः–

1. इस विनियम को उत्तरांचल, लोक सेवा आयोग की (सेवा शर्तों) के बारे में विनियम 2004 कहा जायेंगा ।

2. यह दिनांक 14 मार्च, .2001 से प्रवृत्त हुए माने जायेंगे ।

3. परिभाषाएं–

यदि संदर्भ और विषय में कोई बात प्रतिकूल न हो तो इन विनियम मेंः

(क) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य के राज्यपाल से है;

(ख) 'आयोग' से तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा आयोग से है;

(ग) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य उत्तरांचल, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से है;

(घ) 'सदस्य' का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है;

(ड.) 'प्रतिकर भत्ता' का तात्पर्य व्यक्तिगत व्यय की पूर्ति हेतु प्रदान किये जाने वाले भत्ते से है, जो विशेष परिस्थितियों में कर्तव्यों के निष्पादन हेतु आवश्यक है तथा

(च) 'संविधान का तात्पर्य' भारत का संविधान से है;

4. राज्यपाल महोदय उक्त विनियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वविवेक द्वारा कार्रवाई करेंगे ।

अध्याय– दो
आयोग
भाग–1, स्तम्भ–2: गठन, वेतन तथा कार्यकाल

5. आयोग में एक अध्यक्ष और उतने अन्य सदस्य होंगे जो समय–समय पर राज्यपाल महोदय द्वारा अवधारित किये जायं ।

6. आयोग में नियुक्ति के दिनांक को अध्यक्ष अथवा सदस्य, जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार की सेवा में थे, आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्ति के दिनांक से ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त समझा जायेगा ।

7. (1) अध्यक्ष को रूपये 26,000.00 (रूपये छब्बीस हजार मात्र) प्रतिमाह तथा सदस्य को रूपये 22,500.00 (बाईस हजार, पाँच सौ रुपये) प्रतिमाह वेतन का भुगतान किया जायेगा ;

(2) यदि अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य इन पदों पर नियुक्ति के समय सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं, तो राज्यपाल महोदय यह अवधारित करेंगे कि क्या उसकी पेंशन आस्थगित रखी जाये और यदि आस्थगित रखी जाये तो उसकी पूरी पेंशन अथवा उसका कोई अंश अथवा विकल्प स्वरूप क्या इन विनियमों द्वारा नियत वेतन से उतनी धनराशि कम कर दी जायेगी जो ऐसी पेंशन की धनराशि से अधिक होगी, जिसके अन्तर्गत उसका ऐसा भाग भी है, जो राशिकृत किया गया हो, यदि पूरी सेवा निवृत्त वेतन (पेंशन) को लेने की अनुमति दी जाय ।

भाग– द्वितीय : अवकाश

8. यदि अध्यक्ष अथवा कोई अन्य सदस्य इन पदों पर नियुक्ति के दिनांक को केन्द्र या राज्य सरकार का कर्मचारी हो तो आयोग में अपना कार्यभार ग्रहण करने के समय उसकी जमा सम्पूर्ण छुट्टियाँ तथा आयोग में कार्यकाल के दौरान उसके द्वारा अर्जित अवकाश भी आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य द्वारा अपना पद रिक्त करने से पहले लिया जा सकेगा ।

9. (1) यदि अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य इन पदों पर नियुक्ति के समय भारत सरकार की सेवा में न हो तो उसे नियमानुसार अवकाश प्रदान किया जा सकेगा;

(क) अवकाश अथवा ड्यूटी पर व्यतीत अवधि के ग्यारहवें भाग तक पूर्ण वेतन के सामतुल्य अवकाश वेतन, जो किसी एक समय अधिकतम चार माह से अधिक नहीं होगा;

(ख) राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सक द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र पर अवकाश अथवा अर्द्धवेतन अवकाश, जो किसी एक समय तीन माह से अधिक नहीं होगा;

(ग) किसी एक समय अधिकतम तीन माह का बिना भत्तों के असाधारण अवकाश ।

स्पष्टीकरण:– उपरोक्त समस्त अथवा उनमें से कोई दो प्रकार के अवकाश एक साथ प्रदान किये जा सकेंगे ।

(2) अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य अवकाश वेतन के अतिरिक्त खण्ड (1) के अधीन अवकाश की अवधि के दौरान पेंशन के आहरण का हकदार हो सकेगा, जिसका वह छुट्टी पर जाने के पहले दिन हकदार था ।

(3)(एक) अध्यक्ष अथवा किसी अन्य सदस्य की जमा छुट्टियां उस दिन व्यपगत हो जायेंगी, जिस दिन वह अपना पद रिक्त करेगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उसने ऐसे दिनांक से पर्याप्त समय पूर्व:–

(क) उस छुट्टी के लिए औपचारिक रूप से आवेदन कर दिया था, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया, या

(ख) छुट्टी स्वीकृत करने वाले अधिकारी से लिखित रूप में सुनिश्चित कर लिया था कि यदि छुट्टी के लिए आवेदन दिया गया तो दोनों दशाओं में लोक सेवा की अपेक्षाओं के कारण अवकाश प्रदान नहीं किया जायेगा तो उसे, अधिकतम चार माह की अवधि तक इस प्रकार अस्वीकृत अवकाश की सम्पूर्ण अथवा उसके अंश की अवधि के वेतन के समतुल्य भत्ता प्रदान किया जा सकेगा ।

(दो) छुट्टी वेतन के बराबर नगद धनराशि का भुगतान उपार्जित अवकाश की तीन सौ दिन की अधिकतम अवधि तक के लिए ही किया जायेगा ।

10. अध्यक्ष के छुट्टी पर रहने या अन्यथा स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति न होने से अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण राज्यपाल महोदय किसी अन्य सदस्य, सामान्यत: वरिष्ठ सदस्य, को अध्यक्ष के अपने कार्य पर लौटने अथवा स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति तक यथास्थिति अध्यक्ष के प्रशासनिक कार्यों का वर्तमान प्रभार धारण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेंगे । इस प्रकार प्राधिकृत सदस्य को उस अवधि के लिए जिसमें वह ऐसा प्रभार धारण करता है रूपये 250.00 (दो सौ पचास रुपये) प्रतिमाह अतिरिक्त भत्ते का भुगतान किया जायेगा ।

भाग– तीन– पेंशन

11. (1) जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियम और विनियम–7 में:

(क) "सेवा" में आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में ड्यूटी पर व्यतीत अवधि या समय, अध्यक्ष अथवा सदस्य द्वारा राज्यपाल महोदय के अनुरोध पर किये जाने वाले अन्य कृत्यों का निष्पादन के लिए ड्यूटी पर व्यतीत अवधि, यथास्थिति से अध्यक्ष अथवा सदस्य के पद पर नियुक्ति के समय कार्यभार ग्रहण अवधि भी शामिल है ।

(ख) अध्यक्ष या सदस्य के पद पर नियुक्ति के दिनांक को या उससे पहले अध्यक्ष या सदस्य के सम्बन्ध में "सेवा पेंशन" का तात्पर्य केन्द्र अथवा राज्य सरकार की सेवा के उन नियमों के अधीन स्वीकार्य पेंशन से है, जिसका वह सदस्य था ।

(2) इन विनियमों के अधीन अध्यक्ष अथवा सदस्य को पेंशन कम से कम दो वर्ष की सेवा पूरी करने पर ही देय होगी ।

(3) सेवामुक्त किये जाने पर अध्यक्ष अथवा सदस्य को कोई पेंशन देय नहीं होगी ।

(4) यदि अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य जिसने दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो अपने पद से त्याग–पत्र देता है और ऐसा त्याग–पत्र राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो वह इन विनियमों के अधीन स्वीकार्य पेंशन का हकदार होगा।

(5) इन विनियमों के अधीन अध्यक्ष अथवा सदस्य को पेंशन जीवन पर्यन्त देय होगी और

(क) अध्यक्ष के मामले में उस अवधि के लिए जिसमें उसने संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य या किसी अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य का पद धारण किया हो, उसकी पेंशन आस्थगित रहेगी;

(ख) सदस्य के मामले में उस अवधि के लिए जिसमें वह संघ लोक सेवा आयोग या किसी अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य का पद धारण किया हो, उसकी पेंशन आस्थगित रहेगी ।

प्रतिबन्ध यह है कि इस विनियम के प्राविधान ऐसे अध्यक्ष अथवा सदस्य पर लागू नहीं होंगे जिसे उसकी नियुक्ति के दिनांक को उस सेवा के नियमों के अधीन जिसका वह सदस्य था, सेवा पेंशन प्रदान की गयी हो या वह उसके लिए पात्र हो ।

(6) ऐसे अध्यक्ष अथवा सदस्य की स्थिति में जो अपनी नियुक्ति के दिनांक को केन्द्र या राज्य सरकार की सेवा में था अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में उसकी सेवा की अवधि की उस सेवा पर लागू होने वाले नियमों के अधीन, जिसका वह सदस्य था, उसके ऐसी केन्द्र या राज्य सरकार की सेवा से निवृत्त होने तक, पेंशन के लिए गणना की जायेगी ।

(6–क) किसी ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को, जो केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में था, किन्तु जिस पर खण्ड (6) लागू नहीं होता या जहाँ खण्ड (6) लागू होता है, वहाँ उसमें इस खण्ड के अनुसार अपनी पेंशन के अवधारण के लिए विकल्प किया है,

देय पेंशन निम्नलिखित होगी–

(क) ऐसी पेंशन जिसका वह सेवा के साधारण नियमों के अनुसार हकदार हो, और

(ख) इस विनियम के खण्ड (2), खण्ड (3) और खण्ड (7) में उल्लिखित परिसीमाओं के अधीन रहते हुए खण्ड (7) में उल्लिखित दर पर अतिरिक्त पेंशन ।

परन्तु किसी भी स्थिति में उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट पेंशन को मिलाकर खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अतिरिक्त पेंशन रुपये 13000.00 (रूपये तेरह हजार मात्र) प्रतिमास रूपये 1,56,000 (रूपये एक लाख छप्पन हजार) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(7) ऐसे अध्यक्ष अथवा सदस्य की स्थिति में जो केन्द्र या किसी राज्य सरकार की सेवा में न रहा हो या जिसे उस सेवा के, जिसका वह सदस्य रहा हो, नियमों के अधीन सेवा पेंशन स्वीकृत न की गयी हो या जो सेवा सम्बन्धी नियमों के अधीन सेवा पेंशन की अर्हताएं न रखता रहा हो तो वह निम्नलिखित सेवा पेंशन का हकदार होगा:–

(क) अध्यक्ष की स्थिति में रु0 36,000.00 (रूपये छत्तीस हजार) प्रतिवर्ष, यदि उसने छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो;

(ख) अध्यक्ष से भिन्न किसी अन्य सदस्य के स्थिति में रूपये 27,000.00 (रुपये सत्ताइस हजार मात्र) प्रतिवर्ष, यदि उसने छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो;

(ग) यदि अध्यक्ष अथवा सदस्य ने 2, 3, 4 या 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तो, यथास्थिति उपरोक्त उपखण्ड (क) अथवा उपखण्ड (ख) के अनुसार उसको देय पूर्ण पेंशन का क्रमशः 2/6, 3/6, 4/6 अथवा 5/6 भाग ;

(घ) ऐसे अध्यक्ष के स्थिति में जिसने अध्यक्ष और सदस्य दोनों के रूप में कार्य किया हो उसकी पेंशन की गणना करने में अध्यक्ष और सदस्य के रूप में सेवा की कुल अवधि पर विचार किया जायेगा;

(8) खण्ड–7 के अधीन देय पेंशन को रूपान्तरित नहीं किया जायेगा ।

(9) उत्तरांचल के राज्यपाल अध्यक्ष अथवा सदस्य को पेंशन प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे ।

प्रतिबन्ध यह है कि सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी के मामले में अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में सेवा की अध्यक्ष अथवा सदस्य का कार्यकाल की समाप्ति पर उसकी पेंशन की पुनर्गणना के प्रयोजन हेतु अर्ह सेवा के रूप में गणना नहीं की जायेगी ।

भाग– चार– मार्ग भत्ता

12. अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य किसी मार्ग भत्ते के पात्र नहीं होंगे ।
प्रतिबन्ध यह है कि किसी अध्यक्ष अथवा सदस्य को जो अपनी नियुक्ति के दिनांक को भारत सरकार की सेवा में था उसकी नियुक्ति के कारण किसी मार्ग भत्ते से वंचित नहीं किया जायेगा, जिसका वह नियुक्ति से पहले हकदार था ।

भाग– पॉच– यात्रा भत्ता/ आवासीय भत्ता एवं चिकित्सा सुविधा

13. (1) अध्यक्ष अथवा सदस्य जो इस रूप में नियुक्ति के दिनांक को सरकारी सेवा में हो, स्थानान्तरण यात्रा के लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड–।।। में अधिलिखित दरों तथा शर्तो के अधीन अपना कार्यभार ग्रहण करने के लिए की गयी यात्रा के लिए यात्रा भत्ता आहरित कर सकेगा ।

(2) अध्यक्ष अथवा सदस्य जो नियुक्ति के समय सरकारी सेवा में नहीं था, को प्रथम नियुक्ति पर अपना कार्यभार ग्रहण करने के लिए की गयी यात्रा के लिए कोई यात्रा भत्ता प्रदान नहीं किया जायेगा ।

(3) ड्यूटी पर यात्रा करते समय अध्यक्ष अथवा सदस्य, उत्तरांचल राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारियों के लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड–।।। में विहित दरों तथा शर्तो के अधीन दरों पर यात्रा भत्ते का हकदार होगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि अध्यक्ष और सदस्य के लिए दैनिक भत्ते की न्यूनतम दर 110/–रूपये होगी ।

(4) अध्यक्ष अथवा अन्य सदस्यों को अपना पद रिक्त करने पर उन्हीं शर्तों पर यात्रा भत्ता प्रदान किया जायेगा जो उत्तरांचल राज्य के समूह 'क' के कर्मचारी को उसकी सेवा निवृत्ति पर लागू होती है, ताकि वह अपना पद छोड़ने के पश्चात् अपने गृह नगर/ग्राम अथवा जिस जगह वह बसना चाहता है, वहॉ जा सके ।

14. सदस्य यदि सरकार द्वारा आवंटित आवास में नहीं रहते हैं तो उन्हें उत्तरांचल राज्य के सरकारी सेवकों की भांति समतुल्य श्रेणी आवास प्रतिकर भत्ता देय होगा ।

15 अध्यक्ष तथा सदस्यों एवं उन पर आश्रित उनके परिवार के सदस्यों को उत्तरांचल राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारियों की भांति चिकित्सा सुविधा अनुमन्य होगी ।

भाग– छः–अन्य प्रतिकर भत्ता

16. इस साधारण शर्त के अधीन कि प्रतिकर भत्ते की राशि इस प्रकार विनियमित की जायं जिससे कुल मिलाकर भत्ता प्राप्तकर्ता के लाभ का स्त्रोत न बने । राज्यपाल ऐसी शर्तों, जिन्हें वे आरोपित करना चाहें अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को प्रतिकर भत्ता प्रदान कर सकते हैं और उसकी राशि नियत कर सकते हैं ।

भाग– सात– भविष्य निधि

16–क सामान्य भविष्य निधि नियमावली (उ0प्र0) (यथा उत्तरांचल में प्रवृत्त), के उपबन्ध उसके नियम–4 के द्वितीय परन्तुक को छोड़कर, परिवर्तन सहित आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों पर यथावत लागू होंगे ।

प्रतिबन्ध यह है कि अध्यक्ष अथवा सदस्य जो अपनी नियुक्ति के दिनांक को केन्द्र या राज्य सरकार की सेवा में था और जिसे किसी अन्य भविष्य निधि के लाभ स्वीकार्य थे । इसके बदले उस दिनांक तक जब वह उसकी सेवा में उस पर लागू नियमों के अनुसार अनिवार्य सेवा निवृत्त हो जायं, उस निधि पर लागू नियमों अथवा विनियमों के अनुसार उस निधि में अंशदान के लिए अनुमति दी जा सकेगी । उक्त दिनांक को भविष्य निधि में संचित शेष राशि, जिसमें सरकार का योगदान, यदि कोई हो, भी शामिल है, उक्त निधि में अंतरित कर दी जायेगी । यदि अध्यक्ष अथवा सदस्य ने सामान्य भविष्य निधि नियमावली (उ0प्र0) (यथा उत्तरांचल में प्रवृत्त) के अधीन अंशदान के पक्ष में विकल्प का प्रयोग किया है ।

भाग– आठ– विविध

17. किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में जिसके लिए इन विनियमों में कोई विशेष प्राविधान न किया गया हो, अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की सेवा शर्ते ऐसे नियमों और आदेशों से नियंत्रित होंगी जो उत्तरांचल राज्य के सरकारी कर्मचारियों की ऐसी श्रेणियों पर तत्समय लागू हो, जिन्हें राज्यपाल द्वारा विहित किया जाय।

अध्याय–तीन कर्मचारी

भाग– । संरचना

18. आयोग के कर्मचारियों में एक सचिव, एक अपर सचिव (विधि) एक परीक्षा नियंत्रक, अथवा संयुक्त सचिव तथा उतनी संख्या में राजपत्रित लिपिक वर्गीय अधिकारी, जिनमें अनुसचिव, अनुभाग अधिकारी तथा अराजपत्रित लिपिक वर्गीय अधिकारी तथा अवर सेवक भी शामिल हैं, होंगे जो राज्यपाल द्वारा समय–समय पर अवधारित की जायं ।

19. (क) सचिव तथा परीक्षा नियंत्रक अथवा संयुक्त सचिव आयोग के परामर्श से राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये जायेंगे ।

(ख) अनु सचिव और अन्य अधिकारी राज्यपाल के अनुमोदन से आयोग द्वारा नियुक्त किये जायेंगे ।

(ग) सचिव तथा परीक्षा नियंत्रक अथवा संयुक्त सचिव की पदावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्यपाल अध्यक्ष से परामर्श के पश्चात् सचिव तथा परीक्षा नियंत्रक अथवा संयुक्त सचिव का कार्यकाल दो वर्ष से अनधिक किसी अवधि तक बढ़ा सकेंगे ।

20. (1) सचिव के पद पर चयन उत्तरांचल संवर्ग के राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के उच्चतर वेतनमान या उससे उच्च वेतनमान के अधिकारियों में से किया जायेगा । इस पद के पदधारी अपनी सेवा के वरिष्ठ वेतन मान में वेतन और इस पद पर राज्य सरकार द्वारा समय–2 पर निर्गत आदेशों के अनुसार अनुमन्य प्रतिमाह विशेष वेतन आहरित करेगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक/संयुक्त सचिव के पद पर चयन उत्तरांचल सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के विशेष वेतनमान वाले अधिकारियों से किया जायेगा । इस पद के पदधारी सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में जो उसे समय–समय पर स्वीकार्य हो और इस पद पर राज्य सरकार द्वारा समय–2 पर निर्गत आदेशों के अनुसार अनुमन्य विशेष वेतन प्रतिमाह आहरित करेगा।

(3) अपर सचिव (विधि) के पद पर चयन उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों में से किया जायेगा जिसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय से परामर्श करके की जायेगी ।

(4) अनुसचिव के पद पर चयन आयोग कार्यालय के अपने–अपने निम्नतर संवर्गों के राजपत्रित लिपिक वर्गीय कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा किया जायेगा । इन पदों के पदधारी अपना वेतन उस वेतनमान में आहरित करेंगे, जिसकी सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमति दी जायं ।

21. (1) अन्य विषयों के सम्बन्ध में सचिव, अपर सचिव (विधि) परीक्षा नियंत्रक अथवा संयुक्त सचिव की सेवा शर्ते वही होंगी जो उस सेवा के अन्य सदस्यों की हैं जिसके वे सदस्य हैं ।

(2) विशेष अशक्तता अवकाश से भिन्न अन्य अवकाश और अनिवार्य सेवा निवृत्ति के दिनांक के बाद अनुसचिव और अन्य अधिकारियों को आयोग द्वारा छः माह से अनधिक अवधि का अवकाश प्रदान किया जा सकेगा और ऐसा अवकाश प्रदान किये जाने के कारण हुई रिक्ति पर नियुक्ति की जा सकेगी।

22. (ख) लिपिक वर्गीय अधिष्ठान (राजपत्रित)

अनुसचिव तथा अन्य पदों से भिन्न राजपत्रित लिपिक वर्गीय पदों पर नियुक्तियॉ अध्यक्ष द्वारा की जायेंगी (अध्यक्ष के आदेशों के विरूद्ध राज्यपाल से अपील की जायेगी) ।

23. (ग) लिपिक वर्गीय अधिष्ठान (अराजपत्रित)

लिपिक वर्गीय अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति आयोग के सचिव द्वारा की जायेगी ।

24. (घ) अवर सेवक

अवर सेवक आयोग के सचिव द्वारा नियुक्त किये जायेंगे ।

25. वेतन तथा अन्य विषयों के सम्बन्ध में लिपिक वर्गीय राजपत्रित और अराजपत्रित अधिष्ठान तथा अवर सेवकों की सेवा शर्ते वह होंगी जो राज्यपाल द्वारा अवधारित की जायं ।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 1947/XXX(2)/04

NOTIFICATION
No. 1947 / XXX (2)/2004
Dehradun: Dated 16-XII-2004

In exercise of powers under Article 318 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following regulations.

THE UTTARANCHAL PUBLIC SERVICE COMMISSION (CONDIDTIONS OF SERVICE) REGULATIONS 2004.

CHAPTER 1- PRELIMINARY

Short Title and Commencement.

1. The Regulations may be called the Uttaranchal Public Service Commission (Conditions of Service) Regulations, 2004

2. They shall deemed to have come into force on March 14, 2001 .

3. In these Regulations, unless there is something repugnant in the subject or context,-

   (a) "Governor" means the Governor of the Uttaranchal ;
   (b) "Commission" means the Uttaranchal Public Service Commission;
   (c) "Chairman" means the Chairman of Uttaranchal Public Service Commission;
   (d) "Member" means a Member of the Commission;
   (e) "Compensatory allowance" means an allowance granted to meet personal expenditure necessitated by the special circumstances in which duty is performed; and
   (f) "Constitution" means the Constitution of India.

4. In exercising his powers under these Regulations the Governor shall act in his discretion.

CHAPTER II--COMMISSION

PART I- Composition and Pay and Tenure

Column 2

5. The Commission shall consist of a Chairman and other Members as may be determined by the Governor from time to time.

6. A Chairman or Member who, on the date of his appointment to the Commission, was in the service of the Central or State Government, shall be deemed to have retired from such service with effect from the date of his appointment as Chairman or Member of the Commission.

7. (1) There shall be paid to the Chairman a salary of Rs. 26,000 (Twenty six thousand)per mensem and to each of the other members a salary of Rs. 22,500 (Twenty two thousand five Hundred) per month.

(2) If a Chairman or a Member at the time of his appointment as such is retired Government servant, the Governor shall determine, whether his service pension shall be held in abeyance and if so whether wholly or in part; or in the alternative, whether the pay fixed by this regulation shall be reduced by an amount not exceeding the amount of such service pension, including such portion of it as may have been commuted, if the service pension is allowed to be drawn in full.

PART II- Leave

8. A chairman or any other Member who, at the date of his appointment as such was in the service of the central or State Government shall carry forward all the leave to his credit at the time of assumption of office in the Commission. Such leave and also the leave earned by him during his tenure on the Commission may be availed by the officer before his vacation of office as Chairman or Member of the Commission.

9. (1) A Chairman or any other Member who at the date of his appointment as such was not in the service of the Govt. of India may be granted leave as follows:

(a) Leave or leave salary equivalent to full pay to one eleventh of the period spent on duty, subject to a maximum of four months at any one time.

(b) Leave on medical certificate given by a doctor of Govt. Hospital, on leave salary equivalent to half pay, subject to a maximum of three months at any one time.

(c) Extraordinary leave without allowances, subject to a maximum of three months at any one time.

Explanation- All, or any two, of these kinds of leave may be granted in combination at one time.

(2) The Chairman or any other Member may, in addition to any leave salary he may be entitled to under clause (1), draw during the period of leave any pension to which he is entitled on the day of his proceeding on leave.

(3)(1) Leave at the credit of the Chairman or any other Member shall lapse on the date on which he shall vacate office:

Provided that if in sufficient time before such date he has-

(i) formally applied for leave which has been refused, or

(ii) ascertained in writing from the sanctioning authority that leave, if applied for, would not be granted, the ground of refusal in either case being the requirements of the public service, then he may be granted an allowance equivalent to the leave-salary for the whole or part of the period of leave so refused, subject to a maximum of four months."

(2) The payment of case requirement of leave salary shall be limited to a maximum period of three hundred days of earned leave.

10. During the absence of the Chairman on leave or otherwise. or on the occurrence a vacancy in the office of the Chairman pending the appointment of a permanent Chairman, the Governor may authorise one of the other Members, ordinarily the senior one, to hold current charge of the administrative duties of the Chairman until the Chairman returns to his duties or a permanent Chairman is appointed, as the case may be. The Member so authorised shall be paid an additional allowance of Rs. 250 (Two Hundred fifty)per mensem for the period during which he holds such charge.

PART III- Pension

11. (1) In this Regulation and Regulation 7. unless the context otherwise requires:

(a) "Service" includes time spent on duty as a Member or Chairman of the Commission time spent on duty by a Member or Chairman in performance of such other functions as he may, at the request of Governor. undertake to discharge: and Joining time on transfer to the office of Member or Chairman as the case may be from a post or an office under the Center or State:

(b) "Service pension" in relation to a Member or Chairman who before or at the date of appointment as such was in the service of the Center or of a State, means the pension admissible to him under the rules of the service of which he was a member.

(2) Subject to the provisions of the regulations, pension shall be payable to Chairman or Member only if he has completed not less than two years of service.

(3) No pension shall be payable to Chairman or a Member on his removal from service.

(4) If a Chairman or Member, who has completed two years service resigns from his office and such resignation is accepted by Governor, he shall be entitled to the pension as admissible under these Regulations.

(5) Pension under these Regulations shall be payable to Chairman or Member for life and--

(i) in the case of Chairman, shall be held in abeyance for any period during which he may hold the office of Chairman or Member of the Union Public Service Commission or Chairman of any other State. Public Service Commission;

(ii) in the case of Member. shall be held in abeyance for any period during which he may hold the office of Chairman or Member of Union Public Service Commission or of any other State Public Service Commission;

Provided that the provisions of this Regulation shall not apply to a Chairman or Member who at the date of his

appointment, had been granted or had qualified for service pension under the rules of the service of which he was a member.

(6) In the case of a Chairman or Member who at the date of his appointment, was in the service of the Central or of any State, the period of his service as Chairman or Member shall, until he retires from such Central or State Service count for pension under the rules applicable to the service to which he belongs.

6(a) In the case of a chairman or Member who was in the service of the Central Government or a State Government but whom clause (6) does not apply or where clause (6) applies, he has opted for the determination of his pension in accordance with this clause, the pension payable to him shall be--

(a) The pension to which he is entitled under the ordinary rules of service and;

(b) Subject to the limitations mentioned in clause (2) clause (3) and clause (7) of this regulation, additional pension at the rates mentioned in clause (7) :
Provided that in no case the additional pension, referred to in sub-clause (b) together with the pension referred to in, sub-clause (a) shall exceed the pension of Rs. 13,000/- (Thirteen thousand) per month Rs. 1,56,000/- (One Lac fifty six thousand) per annum.

(7) In the case of a Chairman or Member who has not been in the service of the Central or any State Government or had not been in the service of the Central or any State Government or had not been granted, or had not qualified for service pension under the rules of the service of which he shall be entitled shall be as follows--

(a) In the case of Chairman Rs. 36,000/- (Thirty six thousand) per annum if he has completed 6 years of service.

(b) In the case of Member, other than Chairman, Rs. 27,000/- (Twenty seven thousand) per annum if he has completed 6 years of service.

(c) If a Chairman or Member has completed 2, 3, 4 or 5 years of service, 2/6, 3/6, 4/6 or 5/6th respectively of the full pension which is payable to him in accordance with sub-clause (a) or sub-clause (b) above, as the case may be.

(d) In the case of a Chairman who has worked both as Member and Chairman, total period of service as Chairman, total period of service as Chairman and as Member, shall be taken into consideration into consideration in calculating his pension.

(8) Pension payable under clause (7) above shall not be commuted.

(9) The authority competent to grant pension to Chairman or Member, shall be Governor of Uttaranchal

Provided further that in the case of a retired Government servant, service as Chairman or Member shall not count as qualifying service for the purpose of re-calculating his pension at the expiry of his tenure of office as Chairman or Member.

PART IV- Passage Allowance

12. The Chairman and other Members shall not be eligible for any passage benefits:

Provided that a Chairman or a Member who at the date of his appointment was in the service of the Crown in. India shall not, by reason of his appointment, be deprived of any passage concession to which he was entitled before his appointment.

PART V-Traveling Allowance

13. (1) A Chairman or other Member who, at the date of his appointment as such, is in Government service may draw traveling allowance for the journey to join his appointment at the rates and under the conditions laid down in the Financial Handbook, Volume III, for a journey on transfer.

(2) A Chairman or a Member recruited in India, and who at the time of his appointment is not in government service will not be granted any traveling allowance for the journey to join his first appointment.

(3) A Chairman and any other Member, when traveling on duty, will be entitled to traveling allowance at such rates and subject to such conditions as are prescribed in the Financial

Handbook, Volume III for group 'A' officers of Government of Uttaranchal, subject to the proviso that the minimum rate of daily allowance for the Chairman and a Member shall be Rs. 110 .

(4) A Chairman or other Member on vacation of his office will be granted traveling allowance on the same terms and conditions as are applicable to a group 'A' Uttaranchal State Government servant for grant of traveling allowance on his retirement in order to enable him to proceed to his home town/village or the place where he intends to settle down after the vacation of office.

14. A Member shall be paid House Rent Allowance at the rates payable to the Uttaranchal State Govt. Servant of equivalent grade if he is not occupying a Govt. accommodation.

15. The Chairman/Member and dependent family members shall be entitled to such medical facilities as are provided for the officers of group 'A' in the State Government of Uttaranchal.

PART VI- Other Compensatory Allowance

16. Subject to the general condition that the amount of a compensatory allowance should be so regulated that the allowance is not on the whole a source of profit to the recipient, the Governor may subject to any conditions which he may see fit to impose, grant to the Chairman and other Members any compensatory allowance and may fix the amount thereof.

PART VII- Provident Fund

16-A. The provisions of the General Provident Fund (U.P.) Rules (adopted in Uttaranchal) excluding the Second proviso to rule 4 thereof shall mutates mutandis apply to the Chairman and Members of the Commission:

Provided that a Chairman or Member who at the date of his appointment was in the service of the Central or a State Government and who had been admitted to the benefits of any other Provident Fund, may instead be allowed to continue to subscribe to that Fund in accordance with the rules or regulations applicable to that Fund, until he reaches the date on which he must

compulsorily retire from service in accordance with the rules applicable to him in his service. On that date, the accumulated balance in the Provident Fund, including the Government contribution, if any, shall, if the Chairman or the Member has exercised his option in favour of subscribing to the General Provident Fund (U.P.) Rules (adopted in Uttaranchal), be transferred to the said Fund.

PART VIII- Miscellaneous

17. In respect of any matter for which special provision is not made by these regulations, the conditions of service of the Chairman and other Members shall be governed by the rules and orders for the time being applicable to such classes of Government servants as shall be specified by the Governor.

CHAPTER III-Staff

PART I-Composition

18. The Staff of the Commission shall include one Secretary, one additional secretary (Law) one Controller of Examination or Joint Secretary, and such number of gazetted ministerial officials, including Under Secretary and Section Officer, non-gazetted ministerial officials and inferior servants as the Governor may, from time to time determine.

19. (i) The Secretary and the Controller of Examination or Joint Secretary shall be appointed by the Governor in consultation with the Chairman.

(ii) The Under Secretary and other officers shall be appointed by the Chairman with the approval of the governor.

(iii) The normal tenure of office of the Secretary and the Controller of Examination Secretary or Joint Secretary shall not exceed three years provided that the Governor may, after consultation with the Chairman, extend the tenure of the Secretary and the Controller of Examination or Joint Secretary by any period not exceeding two years.

20. (i) Selection to the post of Secretary shall be made from amongst the higher scale or above. Officers of Uttaranchal Civil Service (Executive branch). The incumbent of this post will draw

pay in the Senior Scale of the Uttaranchal Civil Service plus a special pay admissible to him according to Government orders Issued from time to time.

(ii) Selection to the post of Controller Examination/Joint Secretary shall be made from amongst the special pay Scale Officers of the Uttaranchal Civil Service (Executive Branch). The incumbent of this post will draw pay in the Senior Scale of the service as may be admissible to him from time to time plus a special pay admissible to him according to Government orders issued from time-time.

(iii) Selection to the post of Additional Secretary (Law) shall be made from the officer of higher Judicial services with the consultation of high court.

(iv) Selection to the post of Under Secretary shall be made by promotion from amongst the gazetted ministerial staff of the respective lower cadres of the Commission's Office. The incumbents of these posts will draw pay in the Pay scale which may be allowed by Government from time to time.

21. (1) In respect of all other matters, the conditions of service of the Secretary, Additional secretary (Law) Controller of Examination or Joint Secretary shall be the same as those of the other members of the Service to which they belong.

(2) Leave other than special disability leave and leave extending beyond date of compulsory retirement may be granted by the Chairman for a period not exceeding six months to the Under Secretary and the other officers and a substitute appointed in a vacancy arising on grant of such leave.

(b) Ministerial establishment (gazetted)

22. Appointments to the gazetted ministerial posts other than those of the Under Secretary shall be made by the Chairman (Appeals against the order of the Chairman shall lie to the Governor.)

(c) Ministerial establishment (non-gazetted)

23. Appointments to the ministerial non-gazetted posts shall be made by the Secretary to the Commission.

(d) Inferior Servants

24. The inferior servants shall be appointed by the secretary of the commission.

25. In respect of pay and other matters, the conditions of service of the gazetted and non-gazetted ministerial establishment and inferior servants shall be such as may be determined by the Governor.

By order,

(N.S. Napalchayal)
Principal Secretary